

कोर्ट नोटिस प्रकाशनार्थ
समाहरणालय भागलपुर
न्यायालय वरीय उप समाहर्ता, जिला विकास शाखा, भागलपुर।
अति अल्पकालीन सूचना
प्रेस विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्ति सं०- DB No-76/न्या०/विधि

दिनांक- 30.07.2021


चूँ वजरिये इस कोर्ट नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम, 2018 की धारा 56 (ख) के अन्तर्गत अवैध रूप से देशी/विदेशी शराब का परिवहन करने के आरोप में निम्नलिखित वाहन भिन्न-भिन्न थाना काण्डों में जप्त कर अधिहरण प्रस्ताव वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर/पुलिस अधीक्षक, नवगछिया/उत्पाद अधीक्षक, भागलपुर के माध्यम से प्राप्त होने के फलस्वरूप विविध उत्पाद अधिहरण वाद प्रारंभ किया गया है। नोटिस किये जाने के बावजूद इन वाहनों के लिए कोई दावेदारी प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। उक्त जप्त वाहन अधिहरण योग्य है। जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र०	उत्पाद वाद सं०	थाना का नाम व काण्ड सं०	जप्त वाहन का प्रकार	जप्त वाहन का रजिस्ट्रेशन नं०	गाड़ी मालिक का नाम व पता
1	42/21-22	कोतवाली 771/20	कार	GJ15CB-2958 (जिसका चेचिस नं०-MAJ1xxMRJ1DPO9119 इंजन नं०-MAJ1xxMJ1DPO919)	रौनक आर साह पे०-राजेश कुमार साह सा०-32-10 नेहरू स्ट्रीट थाना-बलसाढ़ जिला-गुजरात
2	56/21-22	नाथनगर 01/2020-21	मोटरसाईकिल	BR10AD5815 (जिसका चेचिस नं०- MD634CE43CE43K2E10857 इंजन नं०-CE4EK2909344)	सुनील कुमार पे०-राजेन्द्र मण्डल सा०-रीशनचक लेन अलीगंज, मोजाहिदपुर जिला-भागलपुर।
3	43/21-22	कहलगाँव (शिवनारायणपुर) 263/20	मोटरसाईकिल	BR10K7214 जिसका चेचिस नं०-ME4JC472EA8035224 इंजन नं०-JC47E0050270)	उपेन्द्र कुमार सिंह पे०-स्व० बी०डी० प्रसाद सिंह सा०-सिपाही टोला थाना-के०हाट जिला-पूर्णियाँ।
4	57/21-22	ईशाकचक 1382/20	टेम्पों एवं टोटो	टेम्पू का चेचिस नं०-18V900W1606010212 एवं टोटो का चेचिस नं०-M27AEVESU6B000000 टेम्पू का इंजन नं०- E10570P	वारू चौधरी पे०-भुरकु चौधरी सा०-ईशाकचक पासो टोला थाना-ईशाकचक भागलपुर।
5	45/21-22	पीरपैती (बाखरपुर) 246/20	बजाज प्लेटिना	JH17C-1120 (जिसका इंजन नं०-DX10109PM9 चेचिस नं०-MD2DDDDZZSPD77874)	दिलिप मण्डल पे०-रामचन्द्र मण्डल ग्राम-बड़ी कोदरजना थाना+पे०-साहेबगंज जिला-साहेबगंज झारखण्ड
6	51/21-22	कहलगाँव (घोघा) 157/20	टेम्पू	टेम्पू बिना नम्बर चेचिस नं०- MA1L82FXSJ5k80448) इंजन नं०- A1018340476	बीरेन्द्र सिंह पे०-रामाशीष सिंह सा०-लौआलगान थाना-चौसा जिला-मधेपुरा।
7	127/21-22	लोदीपुर 45/21	पिकप वाहन	JH10CB-6877 (जिसका चेचिस नं०-MAT559004LVJ25149 इंजन नं०-700CCD102JX551632)	रिंकू देवी पे०-भुगुन साह सा०- Chouthaikulhi, Jharia इंडिया स्कूल के निकट, जिला-धनबाद

8	19/21-22	एन0टी0पी0सी0 थाना काण्ड सं0-42/20	बजाज डिसकभर	BR10W-0536 (जिसका इंजन नं0-JZZRFH. J067, चेचिस नं0- MD2A15BZ2FRH59521)	नागेश पासवान पे0-शंकर पासवान सा0-रामनगर थाना-कहलगाँव जिला-भागलपुर।
9	41/21-22	केतवाली 803/20	स्कूटी	BR10Z-1087 (जिसका इंजन नं0-E3Y3EO312366 चेचिस नं0-ME1SED15CH0048628)	रिन्कू कुमार पे0-रामजीवन राय सा0-सुकुल टोला लेन आर्य समाज मंदिर दीपनगर जिला-भागलपुर।
10	285/20-21	अभियोग सं0 97/20	स्कूटी	BR10AB-7396 (जिसका इंजन नं0-JF49EU3242172 चेचिस नं0-ME4JF49AMJU070099)	दीपक कुमार पे0-बबलू राय सा0-उपर टोला, ग्वाला टोली भागलपुर।

अतः एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस जप्त वाहन/वाहनों में किन्हीं व्यक्ति/संस्था का हित निहित हो तो सूचना प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह के अंदर स्वयं या वकालतन न्यायालय वरीय उप समाहर्ता जिला विकास शाखा, भागलपुर में उपस्थित होकर अपने-अपने वाहन के वाहन सं0 एवं इंजन व चेचिस नंबर के आधार पर मालिकाना हक से संबंधित दावा पक्ष व कागजात प्रस्तुत करें। अन्यथा अनुपस्थित होने की स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त जप्त वाहन से आपको कोई सरोकार नहीं है। तत्पश्चात् उक्त जप्त वाहन को सुनवाई उपरान्त बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम, 2018 की धारा 56(ख) एवं 58 (2) के अन्तर्गत राज्यहित में अधिहरण कर लिया जायेगा।

इसे सख्त ताकीद समझे।


समाहर्ता,
भागलपुर।